

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223-अ ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2012—श्रावण 30, शक 1934

वित्त विभाग

मंत्रालय, द्राऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक 1307/680/2012/स्था./चार.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1238/680/2012/स्था./चार, रायपुर, दिनांक 03-08-2012 द्वारा राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-08-2012 से 31-03-2013 तक वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अजय चन्द्राकर एवं सदस्य, डॉ. अशोक कुमार पारख का कार्यकाल दिनांक 31-03-2013 तक विस्तारित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

